आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–78/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री बिगु भुईयां—विक्रेता
प्रति
श्री जितेन्द्र भुईयां—क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री बिगु भुईया, पिता–स्व० करमु भुईयां, ग्राम–मैल उर्फ फकीराडीह, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री जितेन्द्र भुईयां, पिता–स्व० राजकुमार भुईयां, ग्राम–मैल उर्फ फकीराडीह, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 507/दिनांक 16.09.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, भण्डरिया का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता करमु भुईयां वगैरह के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के भुईयां (अनूसुचित जाति) एवं क्रेता जाति के भुईयां (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री बिगु भुईया, पिता–स्व० करमु भुईयां, ग्राम–मैल उर्फ फकीराडीह, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री जितेन्द्र भुईयां, पिता–स्व० राजकुमार भुईयां, ग्राम–मैल उर्फ फकीराडीह, पोस्ट–रमकण्डा, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
मैल उर्फ फकीराडीह	174	पुराना–01 नया–06	पुराना–50 नया–339	0.17	उ०–बुटाई भुईयां, द०–निज विक्रेता, पू०–निज विक्रेता, प०–रास्ता,
			कुल रकबा:–	0.17	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।

16/11/22
अपर समाहर्ता,
गढ़वा

16/11/22
अपर समाहर्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:21:38 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner